लव जेहाद में फंसाकर मॉडल का यौन शोषण, धर्मांतरण की साजिश

खुलासा

मेरठ/सरधना, हिटी। पश्चिमांचल निवासी महिला का मेरठ के सरधना निवासी वसीम ने लव जिहाद में फंसाकर यौन शोषण किया। मुंबई में अभिनेत्री बनाने का प्रलोभ दिया और अपने साथ लिव इन में रखा। आरोपी ने मारपीट कर धर्मांतरण कराने की साजिश भी की। अब आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया है।

पश्चिमांचल के रंगीन नगर निवासी पुरानी महिला है और मॉडल सह अभिनेत्री विज्ञापन आदि की शूटिंग में काम करती है। पुरानी ने बताया कि जून 2015 में उसकी मुलाकात सरधना के आकाशनगर निवासी वसीम से हुई, जो फोटो शूट और वीडियो बनाता था। पुरानी ने आरोप लगाया कि ट्रेन यात्रा में फंसाकर वसीम उसे मुंबई ले फिल्मों में काम दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। इसके बाद दोनों मुंबई में एक ही फ्लैट में लिव इन में रहे। इस दौरान आरोपी ने नौकर का जवान उसका गर्भपात कराया और वसीम का हकीकत देखकर चुप करा दिया। अब इसने साथ साथ रहने के बाद वसीम ने शादी और शादी कर ली। इसकी जानकारी पर सोमवार को वह वसीम के सरधना स्थित आवास पर पहुंची और हंगामा कर दिया।

यहां से पुरानी अपने परिजनों के साथ मेरठ एसएसपी अखिलेश नारायण के कार्यालय पहुंची और तहरीर दी। आरोप लगाया कि वसीम ने लव जिहाद के तहत उसे फंसाकर और शादी का प्रलोभ देकर यौन शोषण किया। उसका मारपीट कर कई बार धर्मांतरण का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं मानी।

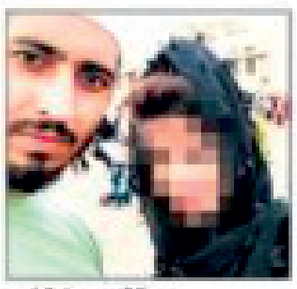

आरोपी के साथ पीड़िता।

वसीम पर 50 लाख हड़पने का आरोप

पुरानी ने ये भी आरोप लगाया कि मुंबई में रहने के दौरान वसीम का खर्च भी वह खुद ही उठाती थी। 11 साल में वसीम ने उससे करीब 50 लाख रुपये लिए।

> पुरानी की ओर से शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्यवाही की जा रही है।
> अभिनीत कुमार, एसीपी देहात मेरठ

आरोपी युवक और परिजनों ने पीड़िता को दी धमकी

पुरानी ने बताया कि वसीम की शादी की बात पता चलने पर वह सरधना पहुंची थी। इस दौरान वसीम और उसके परिजनों ने हत्या की धमकी दी, साथ ही मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया। उसके पास वसीम के साथ के फोटो-वीडियो और साक्ष्य होने के साक्ष्य हैं। पुरानी की ओर से वसीम, उसके परिजनों और दो अज्ञात के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर तहरीर दी गई है।

मुंडाली के मुरलीपुर गांव में आठ दिन पहले हुई सनसनीखेज वारदात, मचा हड़कंप

दुखद : मां ने सात माह के मासूम को गला दबाकर मार डाला

मेरठ/मुंडाली, हिटी। मुंडाली क्षेत्र के मुरलीपुर गांव में एक महिला ने मां नाम पर कलंक लगा दिया। अवैध संबंध और पति से विवाद के चलते महिला ने सात माह के बेटे की हत्या कर दी। महिला ने पहले बच्चे का गला दबाया और फिर उसके सीने पर पैर रखकर उसकी हत्या कर दी। वारदात छिपाने के लिए बेटे को बीमार होना बताया। रात को तबीयत बिगड़ने से पुलिस से शिकायत कर दी। पूछताछ में महिला टूट गई और बेटे की हत्या की बात कबूल कर ली। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को बच्चे का शव कब्र से निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अमित निवासी मुरलीपुर को शादी पांच साल पहले मोनाली निवासी मुजफ्फरनगर से हुई थी। दोनों को दो साल का बेटा सात है और छह माह पहले मुंडाली हुआ था। अमित और उसकी पत्नी में पिछले कुछ माह से विवाद चल रहा था। अमित का आरोप है मोनाली का दिल्ली में पड़ोस में रहने युवक मोहित से प्रेम प्रसंग है। दोनों की वाट्सएप चैट भी अमित ने पकड़ ली थी। इसी को लेकर अमित ने मोनाली का दिल्ली जाना बंद कर दिया। अमित ने बताया कि वह सहारनपुर में डॉक्टर को बता चलाता है और इसके सिलसिले में मोनाली घर रुका था। 30 मई को मोनाली का फोन आया कि सात माह के बेटे मयंक की तबीयत खराब होने से मौत हो गई है। घर पर लोग और बच्चे को श्मशान घाट में दफना दिया था।

पति ने बेटे को बताया पराया इसलिए मार डाला

मयंक का फाइल फोटो।

मोनाली ने बताया कि पति लगातार शक कर रहा था और बच्चे पर आरोप लगाता था। बेटे पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। अमित ने तो यहां तक कह दिया था कि बच्चा उसका नहीं है। मोनाली ने बताया कि इसी विवाद और बच्चे की उपेक्षा के चलते गुस्से में गला दबाकर बेटे की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मोनाली का बयान रिकार्ड किया है। वहीं पुलिस और सुबूत जुटाने में जुटी है।

पति-पत्नी में हुआ था झगड़ा, फोन ने खोले राज

अमित ने पत्नी-बच्चे पत्नी का मोबाइल चेक किया और कॉल डिटेल खंगाली। इसमें सामने आया कि मोनाली अपने मायके के एक युवक मोहित के लगातार संपर्क में थी। इसके बाद दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई। अमित का आरोप है कि पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते ही बेटे की हत्या की है। अमित ने बताया कि उसने पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया और बेटे की हत्या की बात बताई।

> अमित ने अपनी ही पत्नी पर सात माह के बेटे की हत्या का आरोप लगाकर तहरीर दी है। महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें महिला ने बेटे की हत्या की बात कबूली है। फिलहाल बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है।
> अभिनीत कुमार, एसीपी देहात मेरठ।

मुस्कान की तरह सबको मारकर नीले ड्रम में भर दूंगी...

बेटे की मौत को लेकर पूछताछ करने पर मोनाली भड़क गई। अमित का आरोप है कि मोनाली ने धमकी दी कि जैसे बेटे को मारा है, उसी तरह सबको मार दूंगी। मुस्कान केस की तरह सभी की लाश नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दूंगी।

कांवड़ यात्रा : कमिश्नर ने विभागों से मांगी कार्ययोजना

तैयारी

मेरठ, मुख्य संवाददाता। सावन महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेरठ मंडल के कमिश्नर चारु चंद्र गोयल ने यात्रा के लिए सभी संबंधित विभागों को कमर कसने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस, प्रशासन समेत 19 विभागों को पत्र जारी कर तीन दिनों में 11 जून तक कांवड़ यात्रा की कार्ययोजना उपलब्ध कराने को कहा है।

कमिश्नर ने मेरठ मंडल के सभी डीएम, एसएसपी, एसडीएम और विभिन्न विभागीय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे कांवड़ यात्रा-2026 के लिए अपने विभाग/जिले की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। इस संबंध में कमिश्नर ने सोमवार को सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर अपनी कार्ययोजना 11 जून तक उपलब्ध कराने को कहा है। कार्ययोजना प्राप्त होने के बाद प्रशासन द्वारा सभी संबंधित विभागों की एक उच्चस्तरीय बैठक होगी, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, विद्युत और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।

- अगले महीने से कांवड़ियों का शुरू हो जाएगा आवागमन
- जल्द आयोजित होगी बैठक, विभिन्न विभागों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी

अगले महीने से शुरू होगा आवागमन

अगले महीने 30 जुलाई से कांवड़ियों का आवागमन शुरू होने की उम्मीद है। 26 जुलाई से ही सावन का महीना शुरू होगा। सावन का पहला सोमवार तीन अगस्त को है। सावन की शिवरात्रि इस वर्ष 11 अगस्त को मनाई जाएगी, जिसे लेकर प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन को अभी से ही सड़कों की मरम्मत, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त कराने की कार्रवाई शुरू करनी होगी।

शहर 30s

राज्यसभा सांसद ने किया पौधरोपण

मेरठ। सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने महापौर अध्यक्ष विनीत रालोती के साथ नगर गेट पर पौधरोपण किया। वाजपेयी के परिजनों, वैट बोर्ड अधिकारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं ने करीब 100 पेड़ लगाए। वहीं एमएलसी धर्मेंद्र चाहल ने बहमपुरी क्षेत्र के वार्ड 03, 43, 54 एवं 67 में विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लिया। महापौर अध्यक्ष विनीत रालोती, दीपक शर्मा, विनीत वाजपेयी आदि रहे।

पांच करोड़ के कार्यों का किया शुभारंभ

मेरठ। वैट विधायक अमित अग्रवाल ने सोमवार को मेरठ वैट विधानसभा में करीब 5.35 करोड़ के कार्यों का शुभारंभ किया। बताया कि पीडब्लूडी की ओर से ग्राम रेसला रानी मौसम में पुल के नवनिर्माण कार्य 2.05 करोड़ व परीक्षितगढ़-आलमगढ़ प्रमुख जिला मार्ग के ग्राम किठौरी में बीएम कलवर्ट के निर्माण कार्य लगभग 3.30 करोड़ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष विजय सोलंकर, नवनियुक्त प्रदेश मंत्री विजय, पार्षद अरुण पंडा, भारत शर्मा आदि रहे।

झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की जांच की

मोदीपुरम। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और बाइक स्टाइल दिखाने वाले लोगों के खिलाफ पल्लवपुरम पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। थानाध्यक्ष पल्लवपुरम भरत लाकरा ने बताया कि पुलिस ने अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। उधर, पुलिस ने क्षेत्र में स्थित झुग्गी-झोपड़ियों में घर-घर जाकर रहने वालों की पहचान, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की।

नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत

मेरठ। सांसद मेजरों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मेरठ पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल एससी-एसटी प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सूर्यवंशी का स्वागत किया। सूर्यवंशी ने कहा कि सांसद किसानों, नौजवानों और दलित समाज की पार्टी है। अनुसूचित जाति और जनजाति का हित सांसद में सुरक्षित है। इस दौरान सांसद के एससी-एसटी प्रकोष्ठ मेरठ के जिलाध्यक्ष सुभाष जाटव और वरिष्ठ सांसद नेता सोहराब पहाल एडवोकेट रहे।

अवैध खनन में पकड़े गए 18 डंपर और ट्रैक्टर

मेरठ। मेरठ में अवैध खनन को लेकर पुलिस-प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान दो दिन में 18 डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीज किया गया है। एसपी देहात अभिनीत कुमार ने बताया कि जानी में चार डंपर, भावनपुर में सात डंपर सीज किए गए। इसके अलावा सोहटा, रामनगर, सलामा और बहसूमा में एक-एक डंपर सीज किया गया। दूसरी ओर तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीज किया गया है।

Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate

डिमांड नोटिस

धारा 13 (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस

[illegible]

क्र. सं.	ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	नियम 8(1) नोटिस की तारीख	नोटिस के अनुसार देय राशि
1.	शाखा: मुजफ्फरनगर सिटी रोड, रोड 1. अनीस अहमद पुत्र मुहम्मद अहमद, मालपुरनगर, मुजफ्फरनगर - 251000। 2. इमरान पुत्र अब्दुल्लाह, मकीना कॉलोनी, अलमगीर मस्जिद के पास, ग्राम सरवर, मुजफ्फरनगर - 251001।	संपत्ति परिमाणुओं से मस्जिद आवासीय मकान, क्षेत्रफल 120 वर्ग गज अथवा 83.62 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 104 में स्थित, मौजा सरवर (वार्ड संख्या), परगना, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर में स्थित। सीमाएं (विक्रय विलेख के अनुसार): पूर्व - मौजूदी अमजद का प्लॉट, पश्चिम - 18 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर - अमजद का मकान, दक्षिण - इमरान का मकान।	02.06.2026 एनपीए की तिथि 01.06.2026	रु0 24,77,[illegible] मात्र में आगे का ब्याज और आनुषंगिक खर्च
2.	शाखा: मुजफ्फरनगर सिटी रोड, रोड 1. अमजद खान पुत्र अजमल, मकीना कॉलोनी, ग्राम सरवर, मुजफ्फरनगर - 251001। 2. मौलाना साहिब पुत्र मौलाना वसीम, 16, ग्राम सरवर, मुजफ्फरनगर - 251001।	संपत्ति परिमाणुओं से मस्जिद आवासीय मकान, क्षेत्रफल 120 वर्ग गज अथवा 83.62 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 104 में स्थित, मौजा सरवर (वार्ड संख्या), परगना, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर में स्थित। सीमाएं (विक्रय विलेख के अनुसार): पूर्व - मोहम्मद अमजद की मस्जिद, पश्चिम - 18 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर - वसीम का प्लॉट, दक्षिण - मुजफ्फर का प्लॉट।	30.05.2026 एनपीए की तिथि 29.05.2026	रु0 24,79,[illegible] मात्र में आगे का ब्याज और आनुषंगिक खर्च
3.	शाखा: सरवर रोड, मुजफ्फरनगर 1. मौलाना इरफान पुत्र अहिब अहमद, 2844, ग्राम सरवर, मुजफ्फरनगर - 251001। 2. निसार अली पुत्र मुनिस्वर अली, 278, ग्राम सरवर, मुजफ्फरनगर - 251001।	संपत्ति एक आवासीय संपत्ति, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज अथवा 83.60 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 675 में स्थित, मौजा सुभान नगर, ग्राम सरवर, परगना, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर में स्थित। सीमाएं (विक्रय विलेख के अनुसार): पूर्व - 15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम - मुजफ्फर का मकान, उत्तर - कमरुद्दीन का मकान, दक्षिण - 15 फीट चौड़ा रास्ता।	30.05.2026 एनपीए की तिथि 29.05.2026	रु0 5,40,[illegible] मात्र में आगे का ब्याज और आनुषंगिक खर्च

[illegible]

दिनांक: 08.06.2026 स्थान: मुजफ्फरनगर प्राधिकृत अधिकारी

प्रवेश सूचना 2026-27
मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज
[illegible]
B.OPTOMETRY
B.M.L.S.
B.P.T.
ANM
GNM
DAOTT
इन कोर्सों में प्रवेश पाने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 है
M- 9412230932, 9359906632, 9359936127

मेडिकल कॉलेज की से दिनदहाड़े छेड़छाड़

- टेढ़ीपुलिया रजबाहा मार्ग पर सोमवार को हुई घटना
- शोर मचाने पर छात्रों ने काम रहे किसान पहुंचे तो आरोपी भागे

सरधना, संवाददाता। सोमवार की दोपहर टेढ़ीपुलिया रजबाहा मार्ग पर मेरठ मेडिकल कॉलेज से लेकर एक मार्ग के पास बाइक सवार युवकों ने छेड़छाड़ की। मार्ग द्वारा शोर मचाने पर किसानों को आता देख आरोपी युवक फरार हो गए। पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार पिलाना निवासी महिला मेरठ मेडिकल कॉलेज में नर्स है। सोमवार को वह ड्यूटी कर स्कूटी से घर लौट रही थी। आरोप है कि मोदी से करीब 500 मीटर पहले टेढ़ीपुलिया रजबाहा मार्ग पर बाइक को ओर से आए बाइक सवार दो नवयुवकों युवकों ने स्कूटी के सामने बाइक लगा दी। जिससे वह गिर गई। एक युवक ने दूसरे से चाकू निकालने को कहा कहकर उसे उसे पकड़ने का प्रयास किया। महिला ने शोर मचाकर लोग इकट्ठा कर लिए। आसपास खेतों में काम कर रहे किसान मौके की ओर दौड़े, जिन्हें आता देख दोनों आरोपी फरार हो गए।

नर्स ने सरधना थाने पहुंचकर तहरीर दी। उधर, प्रभारी निरीक्षक विनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला छेड़ का नहीं बल्कि छेड़छाड़ से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना
E-Auction के आधार पर

परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति प्रबंधन, पीएनबी भवन सी 01 वेद व्यास पुरी, दिल्ली बाईपास रोड, मेरठ– 250002, ई–मेलः cs8278@pnb.bank.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 व 9 के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 6 (2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

इसके द्वारा सामान्य जनसाधारण को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में बंधक/चार्ज की गई है तथा जिसकी निर्मित/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी है'' के आधार पर विक्रय किया जाएगा। यह विक्रय संबंधित उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) से बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के बकाया देयकों की वसूली हेतु किया जा रहा है। संबंधित संपत्तियों के लिए आरक्षित मूल्य तथा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

क्र. सं.	शाखा/खाता/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	चल/अचल सम्पत्ति का विवरण दृष्टिबंधक/प्रभार/बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधककर्ता)	(ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि (बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धार 13 (2) के तहत मांग सूचना (सी) दिनांक 31.05.2026 तक शेष राशि (डी) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(4) की तिथि (ई) कब्जे के प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/सांकेतिक	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/दिनांक सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	**शाखा: सेक्टर-2 शास्त्रीनगर, मेरठ (400900)** मैसर्स आर्य ट्रेडर्स **(ऋणी)**, पताः 497/ए, फुल बाग कॉलोनी, जेमिनी इंटर कॉलेज के सामने, मेरठ, उ0प्र0- 250002, श्री महेश चन्द्र वर्मा पुत्र जय भगवान वर्मा **(प्रोपराइटर)**, पताः 497/ए, फुल बाग कॉलोनी, जेमिनी इंटर कॉलेज के सामने, मेरठ, उ0प्र0- 250002, श्री पवन कुमार पुत्र जय भगवान वर्मा **(गारन्टर)**, पताः 497/ए, फुल बाग कॉलोनी, जेमिनी इंटर कॉलेज के सामने, मेरठ, उ0प्र0- 250002।	बंधक आवासीय मकान म्यूनिसिपल नं0 499/1, खसरा नं0 4791 का भाग, फुलबाग कॉलोनी, जैमिनी इंटर कॉलेज के सामने, मेरठ, क्षेत्रफल 111.62 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री महेश चन्द्र वर्मा पुत्र जय भगवान वर्मा।	(क) 19.12.2019 (ख) रू0 61,98,457.17 + ब्याज दिनांक 01.11.2019 + कानूनी एवं अन्य खर्चे (ग) रू0 **1,45,35,616.31** + ब्याज दिनांक 01.06.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (घ) 26.02.2020 (ड.) सांकेतिक कब्जा	रू0 64.00 लाख रू0 6.40 लाख रू0 0.70 लाख	**25.06.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **24.06.2026**	डीआरटी लखनऊ **SA/78/2025**
2	**शाखा: बागपत रोड, मेरठ (253300)** मैसर्स एम.ए. एग्रोवेट एवं जिलेटिन्स प्राइवेट लिमिटेड (डायरेक्टर द्वारा) **(ऋणी)**, पताः खसरा नं. 917, ग्राम बेगराजपुर, मंसूरपुर यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एरिया के सामने, मुजफ्फरनगर, उ.प्र. पिन-251002, श्री शादाब अहमद पुत्र मौहम्मद अहमद **(डायरेक्टर)**, पताः मकान नं. 467, खालापार, मुजफ्फरनगर, उ.प्र. पिन-251002, श्री आस मौहम्मद पुत्र मौहम्मद अहमद **(डायरेक्टर)**, पताः मकान नं. 467, खालापार, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.-251002, श्री हाजी मौहम्मद इरफान पुत्र श्री मौहम्मद कासिम **(गारन्टर/बंधककर्ता)**, पताः मकान नं. 126, मौहल्ला चमारान खादरवाला, दक्षिणी मुजफ्फरनगर, उ.प्र. -251002, श्री गुफरान अहमद पुत्र श्री हाजी मौहम्मद, इरफान **(गारन्टर/बंधककर्ता)**, पताः मकान नं. 615, चमारान खादरवाला-4, मुजफ्फरनगर, उ.प्र. पिन-251002, श्री वकील अहमद पुत्र श्री खलील अहमद **(गारन्टर/बंधककर्ता)**, पताः मकान नं. 907, दक्षिणी खालापार, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.-251002, श्री मौहम्मद अहमद पुत्र श्री मौहम्मद अनवर अहमद **(गारन्टर/बंधककर्ता)**, पताः मकान नं. 467, खालापार, मुजफ्फरनगर, उ.प्र. पिन-251002	म्यूनिसिपिल नं. 494 (पुराना) और 128 (नया) मौहल्ला खादरवाला दक्षिणी मुजफ्फरनगर सम्पत्ति स्वामी स्व0 श्री इरफान मौहम्मद पुत्र श्री मौहम्मद कासिम जिसका माप 255.85 वर्गमीटर। सीमाएँ:- पूर्व- 51 फीट, 10 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम- 51 फीट, श्री इस्तेकार का मकान, उत्तर- 54 फीट, श्री हाजी इरफान का मकान, दक्षिण- 54 फीट, शौहदा वाली मस्जिद।	(ए) 13.09.2018 (बी) रू0 6,28,60,637.96 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.08.2018 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (सी) रू0 16,28,16,551.52 + ब्याज दिनांक 01.06.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (डी) 21.01.2019 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 52.50 लाख रू0 5.25 लाख रू0 0.60 लाख	**25.06.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **24.06.2026**	**ज्ञात नहीं**
3	**शाखा: आबू लेन, मेरठ कैंट (031800)** मैसर्स अत्रीश इंटरप्राइजेज (प्रोपराइटर श्री संजय कुमार द्वारा) **(ऋणी)**, पताः फ्लैट नं0 बी-136/3, प्रथम तल, तक्षशिला कॉलोनी, ग्राम- सराय काजी, गढ़ रोड, मेरठ, उ0प्र0- 250004, श्री संजय कुमार पुत्र श्री उदय प्रकाश **(ऋणी)** (गारन्टरः लोन खाता मैसर्स अत्रीश इंटरप्राइजेज एवं श्रीमती रीना त्यागी) **(बंधककर्ता)**, पताः फ्लैट नं0 बी-136/3, प्रथम तल, तक्षशिला कॉलोनी, ग्राम- सराय काजी, गढ़ रोड, मेरठ, उ0प्र0- 250004, श्रीमती रीना त्यागी पत्नी श्री संजय कुमार **(ऋणी)** (गारन्टरः लोन खाता मैसर्स अत्रीश इंटरप्राइजेज एवं श्रीमती रीना त्यागी), पताः फ्लैट नं0 बी-136/3, प्रथम तल, तक्षशिला कॉलोनी, ग्राम- सराय काजी, गढ़ रोड, मेरठ, उ0प्र0- 250004, श्री इंदू प्रकाश पुत्र श्री उदय प्रकाश **(बंधककर्ता)**, पता 1: फ्लैट नं0 बी-136/3, प्रथम तल, तक्षशिला कॉलोनी, ग्राम- सराय काजी, गढ़ रोड, मेरठ, उ0प्र0- 250004, पता 2: नौचंदी कम्पाउंड, गढ़ रोड, मेरठ, उ0प्र0- 250002	बंधक आवासीय फ्लैट नं0 बी-136/3, प्रथम तल प्लॉट नं0 बी-136 पर निर्मित, खसरा नं0 8/1, का भाग, स्थित तक्षशिला कॉलोनी, ग्राम- सराय काजी, तहसील एवं जिला- मेरठ- 250004, सम्पत्ति स्वामी श्री संजय कुमार पुत्र श्री उदय प्रकाश। माप क्षेत्रफल 139.35 वर्ग मीटर। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँ:- पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः अन्य का मकान, उत्तरः फ्लैट नं0 बी-136/4, दक्षिणः 30 फीट चौड़ा रास्ता (भूतल)।	(ए) 30.03.2022 एवं समाचार पत्र दिनांक 07.04.2022 में भी प्रकाशित (बी) रू0 2,48,25,554.17 + ब्याज दिनांक 01.03.2022 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (सी) रू0 2,53,20,987.56 + ब्याज दिनांक 01.06.2026 + कानूनी एवं खर्चे एनपीए के बाद (डी) 09.06.2022 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 38.00 लाख रू0 3.80 लाख रू0 0.50 लाख	**25.06.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **24.06.2026**	**ज्ञात नहीं**
4	**शाखा: ई0के0 रोड, मेरठ (253400)** मैसर्स जुबैर इंटरप्राइजेज (प्रोपराइटर श्री जुबैर कुरैशी पुत्र श्री नसीम कुरैशी), पताः 18/1, बागशाह रडका, कोटला, मेरठ, उ0प्र0-250002, श्री जुबैर कुरैशी पुत्र श्री नसीम कुरैशी **(प्रोपराइटर) (ऋणी)**, पताः 18/1, बागशाह रडका, कोटला, मेरठ, उ0प्र0- 250002, श्री नसीम कुरैशी पुत्र श्री रफीक कुरैशी उर्फ रफ़ो पहलवान **(गारन्टर + बंधककर्ता)**, पताः 18/1, बागशाह रडका, कोटला, मेरठ, उ0प्र0- 250002	बंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व भूखंड, सम्पत्ति भूमि एवं बिल्डिंग निर्मित स्थित म्यूनिसिपल नं0 18/1, पुराना नं0 16, माप क्षेत्रफल 81.71 वर्ग गज अर्थात् 68.31 वर्ग मीटर। मौहल्ला- बागशाह रडका, कोटला, कोटला, मेरठ (उ0प्र0), सब-रजिस्ट्रार ऑफिस-2 मेरठ, सम्पत्ति स्वामी श्री नसीम कुरैशी (गारन्टर)। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँ:- पूर्वः संयुक्त गली, पश्चिमः संयुक्त मून्ना एवं अन्य की सम्पत्ति, उत्तरः संयुक्त रास्ता, दक्षिणः संयुक्त सलीम का मकान।	(क) 23.10.2018 (ख) रू0 48,13,281.52 + ब्याज दिनांक 01.10.2018 + कानूनी एवं अन्य खर्चे यदि कोई हो (ग) रू0 **87,10,649.72** + ब्याज दिनांक 01.06.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (घ) 05.02.2019 (ड.) सांकेतिक कब्जा	रू0 65.00 लाख रू0 6.50 लाख रू0 0.70 लाख	**25.06.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **24.06.2026**	**ज्ञात नहीं**

विक्रय सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) नियम, 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन होगा तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगीः–
1. संपत्तियों का विक्रय ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी है'' के आधार पर किया जाएगा।
2. उपरोक्त अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, तथापि इस घोषणा में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत विवरण अथवा चूक के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
3. विक्रय, अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी मंच के माध्यम से www.pnbindia.in एवं https://baanknet.in वेबसाइट पर दिनांक 25.06.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक किया जाएगा।
4. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को आरक्षित मूल्य से कम से कम एक बोली अधिक लगाना अनिवार्य होगा।
5. विक्रय की विस्तृत शर्तों एवं नियमों के लिए कृपया www.pnbindia.in एवं https://baanknet.com वेबसाइट देखें।

हस्ताक्षरित–
श्री विकास कुमार
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक

दिनांकः 05.06.2026 स्थान – मेरठ प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार